राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 730वीं बैठक दिनांक 07.06.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 730वी बैठक दिनांक 07.06.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
A. SEAC से अनुशंसित प्रकरण :					
1.	8097/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्थगित
2.	6715/2019	1(a)	लाईमस्टोन खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	7018/2019	1(a)	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्थगित
4.	9166/2022	8(a)	भवन निर्माण	For ToR	ToR स्वीकृत
5.	9167/2022	1(a)	डोलोमाईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
6.	9177/2022	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
7.	9180/2022	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
8.	9179/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
9.	9169/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्थगित
10.	9170/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	9172/2022	8(a)	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
B. नीतिगत निर्णय :					

1. प्रकरण कमांक 8097/2021 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बनाफर ग्रेनाईट इन्ड्रस्ट्रीज ग्राम प्रकाश बम्हौरी तहसील गुनौर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35008 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1147,1148 रकबा 1.184 हेक्टेयर, ग्राम प्रकाश बम्हौरी, तहसील गुनौर ,जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 574वी बैठक दिनांक 29.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :-

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** –कार्यालय वनमण्डल सामान्य वनमण्डल जिला छतरपुर के पत्र क्र. 5708 दिनांक 12.11.2020 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – जिला कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर आदेश क. 3660 दिनांक 11.12. 2020 के द्वारा आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.973 किलो लीटर प्रतिदिन है (0.733 केएलडी हरित पट्‌टी विकास + 1.01 केएलडी धूल धमन हेतु + 1.23 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति बोरवेल नजदीकी हैण्ड पम्प से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 1600 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 28.10.2021 को खदान स्थल ग्राम पंचायत भवन, प्रकाश बम्हौरी, जिला छतरपुर (म.प्र.) अपर कलेक्टर, छतरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण में मानसून के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन क्षेत्र में मौजूद 05 वृक्षों में से काटे जाने वाले 03 वृक्षों के एवज में 30 पौधों का रोपण किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय फोटोग्राफ अक्षांश देशांश सहित 15 दिवस में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। **परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

2. प्रकरण कमांक 6715/2019 – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती वीना चतुर्वेदी पुत्री स्वर्गीय श्री उमेशनाथ चतुर्वेदी निवासी एम. एम. चौबे वार्ड चतुर्वेदी कामप्लेक्स के पीछे तहसील व जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईम स्टोन खदान, उत्पादन क्षमता 50000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 76 रकबा 2.65 हेक्टेयर, ग्राम राजरवारा , तहसील विजयराघौगढ़ ,जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 574वी बैठक दिनांक 29.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :-

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्‌ट)
अध्यक्ष

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** –कार्यालय वनमण्डल सामान्य वनमण्डल जिला कटनी के पत्र क्र. 3870 दिनांक 30.05.2013 एवं पत्र क. 109 दिनांक 03.01.2013 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – जिला कलेक्टर (खनिज शाखा) कटनी आदेश क. 3932 दिनांक 06.10. 2018 के द्वारा आगामी 30 वर्ष (07.12.2013 से 06.12.2043 तक) की अवधि तक अनुबंध निष्पादित किया गया है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.11 किलो लीटर प्रतिदिन है (2.6 केएलडी हरित पट्टी विकास + 3.8 केएलडी धूल धमन हेतु + 1.7 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति बोरवेल नजदीकी हैण्ड पम्प से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 3200 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 05.08.2021 को खदान स्थल ग्राम राजरवारा , तहसील विजयराघौगढ़ ,जिला कटनी (म.प्र.) अपर कलेक्टर, कटनी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 574 वी बैठक दिनांक 29.05.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–ए) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।**
II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**
III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
IV. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 3200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम राजरवारा के आगनवाड़ी केन्द्र की मरम्मत/ रिनोवेशन, व्हाईट वास किया जाये तथा स्टेशनरी, फर्नीचर एवं पंखा प्रदान किया जाये।
- ग्राम राजरवारा के शासकीय स्कूल बिल्डिंग को रिनोवेशन किया जाये एवं स्टेशनरी, वाटर फिल्टर ,फर्नीचर एवं पंखा प्रदान किया जाये।
- ग्राम राजरवारा में 01 हैण्ड पम्प स्थापित किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती वीना चतुर्वेदी पुत्री स्वर्गीय श्री उमेशनाथ चतुर्वेदी निवासी एम. एम. चौबे वार्ड चतुर्वेदी कामप्लेक्स के पीछे तहसील व जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईम स्टोन खदान, उत्पादन क्षमता 50000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 76 रकबा 2.65 हेक्टेयर, ग्राम राजरवारा, तहसील विजयराघौगढ़ ,जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। जिला कलेक्टर (खनिज शाखा) कटनी आदेश क्र. 3932 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा आगामी 30 वर्ष (07. 12.2013 से 06.12.2043 तक) की अवधि तक अनुबंध निष्पादित किया गया है। **अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक** 06.12.2043 **तक मान्य रहेगी।**

3. **प्रकरण कमांक 7018/2020 – परियोजना प्रस्तावक श्री अविनाश अग्रवाल आत्मज श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, निवासी– पोस्ट जैतवारा जिला सतना (म.प्र.)– द्वारा लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 33/1, 33/2, 33/3, 34 ,35 36, 37/1, 37/2, 38, 39/1,39/2, 41भाग, 59/1, क,, 59/1ख , 60, 61/1, 61/2, 61/3 रकबा 11.915 हेक्टेयर, ग्राम घमिरहा , तहसील मझगवॉ ,जिला सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 574वी बैठक दिनांक 29.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** –कार्यालय वनमण्डल सामान्य वनमण्डल जिला सतना के पत्र क्र. 243 दिनांक 04.01.2020 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. **लीज संबंधी विवरण** – म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल का आशय पत्र क्र. 3–3/2019/12/1 दिनांक 09.09.2019 के द्वारा आगामी 30 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 13.5 किलो लीटर प्रतिदिन है (1.0 केएलडी हरित पट्टी विकास + 11.4 केएलडी धूल धमन हेतु + 1.1 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति माईन सम्प एवं बोर बैल से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 14500 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 14.07.2021 को खदान स्थल ग्राम घमिरहा, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र.) अपर कलेक्टर, सतना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन क्षेत्र में मौजूद 06 वृक्षों में से काटे जाने वाले 05 वृक्षों के एवज में मानसून के दृष्टिगत महुआ प्रजाति के 50 पौधों का रोपण पूर्ण कर मय फोटोग्राफ अक्षांश देशांश सहित 15 दिवस में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। **परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

4. **Case No 9166/2022** Prior Environment Clearance for Construction of "Muskan Park" (Hotel & Residential Building of House Corporation) at Plot No. 7/2, 7/2-K, Napier Town, Tehsil & Dist. Jabalpur, (MP) Total Project Area - 7544.14 sq.m (0.75 ha.), Built-up Area - 34145.10 sq.mShri Shankar Manchani, Napier Town, 88, Infront of Goodwill Complex, Dist. Jabalpur, MP - 482001 (Cat. 8(a) Building and Construction Project)Env. Global Management and Engineering Consultant International, Jaipur (Raj.)

प्रकरण होटल एवं आवासीय निर्माण के लिए पर्यावरण उल्लघन के पश्चात् पर्यावरण मंजूरी का है। प्रश्नाधीन प्रकरण ''मानक संचालन प्रक्रिया'' के तहत् विचाराधीन है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 574वीं बैठक दिनांक 29.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 10 से 13 पर अंकित है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

- परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैद्यानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।
- परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का निमार्ण न करे। चल रहे समस्त निमार्ण कार्य तत्काल बंद करे।
- साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह शपथ पत्र भी देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य सभी न्यायालयों एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के सभी परियोजना के संबंध में दिये गये वैद्यानिक निर्णयों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का पर्यावरण उल्लघंन की पुर्नरावृत्ति नहीं करेगा
- प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक/सलाहकार पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन में प्रस्तावित परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेगा। साथ ही इंनके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिये उपचार योजना प्रस्तावित करेगा।
- प्रतिवेदन में निर्मित भवन का खुला स्थान (MOS) Front, Side & Back MOS की वास्तविक माप कार्य स्थल पर क्या है उसे मानचित्र में नगर निगम से प्रमाणित कर संलग्न करेगा। साथ ही नगर निगम जबलपुर से भवन निर्माण के पूर्व ली गई भवन अनुज्ञा एवं मानचित्र, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर से स्वीकृत लेआउट एवं पत्र का पठनीय मानचित्र संलग्न करेगा।
- **Study the socio-economic condition of the project area and its surrounding and their impact on the project design and operation.**
- **Looking to the increase the use of electrical vehicle in recent future, provision for the installation of sufficient number of electrical charging port should be made in the proposed site. This point should be specifically discussed and deliberated in the proposed EIA.**
- **Project proponent shall explore feasibility to install as maximum as possible solar power / lighting systems within premises.**
- **Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of installed / proposed structures in EIA report.**
- **Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5. प्रकरण कमांक 9167/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ग्रीन माइनिंग कम्पनी, एफ.एफ. 108, राजुल काम्पलेक्स आगा चौक जिला जबलपुर (म.प्र.)– द्वारा डोलोमाट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15364 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 17 रकबा 1.40 हेक्टेयर, ग्राम ऐठाखेड़ा , तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 574 वी बैठक दिनांक 29.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iii) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(iv) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(v) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(vi) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(vii) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(viii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(ix) PP shall ensure to comply the condition mention in draft notication of MoeF& CC dated 18.02.2022 regarding use of DG Set and to control pollution and should be suitable incorporated in EIA studies..

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6. प्रकरण क्रमांक 9177/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सी.पी. ग्लोबल बिल्डकाम एल.एल.पी. निवासी–121 चॉदनी चौक जिला रतलाम (म.प्र.)–457001 द्वारा पत्थर व एम. सैन्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30070 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 340 रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम हेडावा , तहसील थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 574 वी बैठक दिनांक 29.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) PP shall ensure to comply the condition mention in draft notication of MoEF& CC dated 18.02.2022 regarding use of DG Set and to control pollution and should be suitable incorporated in EIA studies.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण कमांक 9180/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सी.पी. ग्लोबल बिल्डकान एल.एल.पी., 121 चॉदनी चौक जिला रतलाम (म.प्र.)–457001 द्वारा पत्थर व एम. सैन्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32010 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 340, 341, 342 रकबा 3.80 हेक्टेयर, ग्राम हेडावा , तहसील थॉदला, जिला झाबुआ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 574 वी बैठक दिनांक 29.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) PP shall ensure to comply the condition mention in draft notication of MoEF& CC dated 18.02.2022 regarding use of DG Set and to control pollution and should be suitable incorporated in EIA studies.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण कमांक 9179/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीबालाजी ग्रेनाईट, 502 सत्यम रेजीडेन्सी टावर अल्कापुरी तिराहा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 38475 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 38/1, 51/मिन–1क, 52/मिन–2क, 52/मिन–2ख, 52/मिन–1, रकबा 1.58 हेक्टेयर, ग्राम बेरजा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 574 वी बैठक दिनांक 29.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) PP shall ensure to comply the condition mention in draft notication of MoEF& CC dated 18.02.2022 regarding use of DG Set and to control pollution and should be suitable incorporated in EIA studies.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. प्रकरण कमांक 9169/2022 - परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पूजा जायसवाल पत्नी श्री राहुल जायसवाल, निवासी 125 गांधीनगर, जिला रतलाम (म.प्र.)–457001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 167 रकबा 3.00 हेक्टेयर, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 574 वी बैठक दिनांक 29.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में मानसून के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन क्षेत्र में मौजूद काटे जाने वाले 01 वृक्षों के एवज में 10 पौधों का रोपण किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय फोटोग्राफ अक्षांश देशांश सहित 15 दिवस में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। **परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

10. प्रकरण कमांक 9170/2022 - परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल जायसवाल निवासी –125 गांधीनगर, जिला रतलाम (म.प्र.)–457001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 167 रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम सरवानी खुर्द, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 574 वी बैठक दिनांक 29.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 574 वी बैठक दिनांक 29.05.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट एवं नदी से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2470 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम **ग्राम बिबरौद** के आंगनवाडी केन्द्र का रिनोवेशन एवं महिला बाल विकास के परामर्श से वर्तन व पोषण आहार वितरित तथा अन्य उपयोगल सामग्री उपलब्ध कराई जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल जायसवाल निवासी 125 गांधीनगर, जिला रतलाम (म.प्र.) – 457001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 167 रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील व ,जिला रतलाम (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम का पत्र क्र. 4725 दिनांक 13.09.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.09.2031 तक मान्य रहेगी।

11. **Case No 9172/2022:**Prior Environment Clearance for Proposed Multi Storey Residential Building "Tulsi Green Tulsi Tower 2" at Village - Shahpura, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, MP, Total Plot area 7733.03 Sqm (1.91 Acres), Proposed Builtup Area 44606.90 Sqm. by M/s M.P.Housing & Infrastructure Development Board, Division No. 06, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Dist. Bhopal, MP - 462003

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 574वी बैठक दिनांक 29.05.2022 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

- यह प्रकरण प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय भवन "तुलसी ग्रीन तुलसी टावर **2**", ग्राम – शाहपुरा, तहसील – हुजूर, जिला भोपाल के निर्माण हेतु पूर्व पर्यावरण मंजूरी का प्रकरण है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- परियोजना ईआईए अधिसूचना 8(a) के अंतर्गत है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 574 वीं दिनांक 29 मई 2022 की कार्यवाही विवरण में पेज नंबर 25 से 40 पर अंकित करते हुए "पूर्व पर्यावरण स्वीकृति" अनुशंसित की है। उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया । प्रकरण में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई :–

1. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण में उल्लेख किया गया है कि कार्यस्थल पर 35 प्रौढ़ पेड़ है, इन्हें परियोजना प्रस्तावक द्वारा काटने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ले ली गयी है। इन्हें काटने का प्रस्ताव है। इस संबंध में प्राधिकरण ने इन वृक्षों को काटने के स्थान पर प्रत्यारोपित करने का निर्णय लिया है, साथ ही यह कार्य किसी अनुभवी फर्म के दिशा निर्देश में कराया जावे यह कार्य इसी वर्षा ऋतु में किये जाये ताकि प्रत्यारोपण का कार्य सफल रहे।

   साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे जहां पर भवन प्रस्तावित है अथवा निर्माण में जो बाधक है उन्हीं को प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए, प्रयास यह हो कि जो भी वृक्ष बच सके उसे बचाया जावे।

   वर्षा ऋतु को ध्यान में रख कर प्रस्तावित वृक्षारोपण के कार्य को भी प्राथमिकता से संपादित करें ताकि वर्षा ऋतु का लाभ मिल सके।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भवन संचालन के समय पानी की मांग पूर्ति हेतु भूजल पानी से किया जाना प्रस्तावित है इस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जा रहा है।

   प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया भूजल दोहन के स्थान पर यथासंभव नगर निगम से जलापूर्ति करावें। अपरिहार्य स्थिति में भूजल का दोहन करें।

3. प्रस्तावित भवन 75 मीटर ऊंचाई का एक उच्च स्तरीय भवन होगा। इसके निर्माण के दौरान पूर्ण सावधानी रखी जावे जिससे किसी भी प्रकार जन, धन हानि न हो। साथ ही भूमि विकास नियम 2012 के निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की** 574वी बैठक दिनांक 29 मई 2022 की **कार्यवाही विवरण,अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों** को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ **उपरोक्त बिंदु 1, 2 एवं 3 को शर्तों में शामिल करते हुए परिशिष्ट–5 सहित परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एमपी हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, डिवीजन नंबर 06, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, जिला - भोपाल, एम. पी - 462003 को पूर्व पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय भवन "तुलसी ग्रीन तुलसी टॉवर 2" ग्राम – शाहपुरा, तहसील – हुजूर, जिला– भोपाल, एम पी, कुल प्लॉट क्षेत्र 7733.03 वर्गमीटर (1.91 एकड़), प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र 44606.90 वर्गमीटर में भवन निर्माण हेतु पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रदान की जाती है।**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

B. नीतिगत निर्णय –

ईआईए अधिसूचना 2006 के अधीन Violation से संबंधित परियोजना प्रस्तावों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकारद्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 28.01.2022 के अंतर्गत जुर्माना (Penalty) राशि के जमा करवाये जाने तथा उपयोगिता के संबंध में नीतिगत निर्णय बावत्।

विषयान्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 28.01.2022 के माध्यम से समस्त Violation परियोजना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों एवं ईआईए अधिसूचना 2006 के अधीन निराकृत किए जाने हेतु SOP निर्धारित की गइ है।

इस SOP के बिन्दु क्र. 12 के अनुसार Violation के प्रकरणों हेतु जुर्माना राशि का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है :–

12. Penalty provisions for Vilation cases and applications :

a. For new projects :

i. Where operation has not commenced : 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report; [Ex: Rs. 1 lakh for project cost of Rs. 1 Cr]

ii. Where operation s have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation. [Ex: For Rs. 100 Cr project cost and Rs. 100 Cr total turnover, the penalty shall be Rs. 1 Cr + Rs. 0.25 Cr = Rs. 1.25 Cr]

b. For expansion projects :

i. Where operation/production with expanded capacity has not commenced : 1% of the project cost, attributable to the expansion, incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report.

ii. Where operation/production with expanded capacity have commenced: 1% of the project cost (attributable to the expansion activity) incurred upto the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover (attributable to the expanded activity/capacity) involved during the period of violation.

SOP में जुर्माना राशि का प्रावधान दिया गया है परंतु इस राशि को जमा करने हेतु तथा उपयोगिता हेतु किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं इसलिये विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि Violation के प्रकरणों से प्राप्त जुर्माना राशि को SEIAA द्वारा नवीन बैंक खाते में जमा किया जाये और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से पत्र द्वारा इस राशि के उपयोगिता हेतु मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्राप्त किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
5. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
9. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–4

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

11. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

22. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

25. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

26. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परिशिष्ट–5

1. The fresh water supply arrangement should be met through Municipal Corporation Gwaliorand there should no extraction of ground water.
2. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
3. Dual plumbing system to be provided for reuse of the treated effluent for flushing and other purposes.
4. Rain water will be harvested in the mined out area present at the project site.The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
5. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
6. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

7. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body & it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.

8. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

9. **For firefighting:-**

   a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC 2016.
   b. The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
   c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises

10. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

11. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.

12. The proponent shall develop green belt in an area not less than 10% of plot area in addition to green belt in setback areas. The landscape planning should include plantation of native species.The existing trees counting for this purpose. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping..

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष